भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2813
दिनांक 18.03.2025 को उत्तरार्थ

पीएम स्वामित्व योजना

†2813 .श्री अनिल यशवंत देसाईः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना का ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या यह योजना देश के विभिन्न पंचायतों और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है; और

(ग) इस योजना में ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी और आम ग्रामीण आबादी किस हद तक शामिल है और भाग ले रहे हैं?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) एवं (ख) : स्वामित्व योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल 2020 को की गई थी, जिसका उद्देश्य आबादी वाले क्षेत्रों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मुखिया को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है। इस योजना में ड्रोन आधारित नवीनतम सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि के सीमांकन पर ध्यान दिया गया है। यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक संयुक्त प्रयास है।

योजना के उद्देश्य:

i. ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि अभिलेख तैयार करना तथा संपत्ति संबंधी विवादों में कमी लाना।

ii. ग्रामीण भारत में नागरिकों को ऋण लेने तथा अन्य वित्तीय लाभ लेने हेतु अपनी संपत्ति को वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाकर वित्तीय स्थिरता लाना।

iii. संपत्ति कर का निर्धारण, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा जहां इसे हस्तांतरित किया गया है या फिर इसे राज्य के खजाने में डाला जाएगा।

iv. सर्वेक्षण अवसंरचना तथा जीआईएस मानचित्रों का निर्माण, जिनका उपयोग किसी भी विभाग द्वारा किया जा सके।

v. जीआईएस मानचित्रों का उपयोग करके बेहतर गुणवत्तापूर्ण ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने में सहायता करना।

दिनांक 11 मार्च, 2025 तक, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 3.20 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप, लद्दाख, दिल्ली और आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो चुका है। 1.61 लाख गांवों के लिए 2.42 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं। हरियाणा, उत्तराखंड, पुद्दुचेरी, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव के सभी आबादी वाले गांवों के संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं।

हालांकि, कुछ राज्यों ने पहले से मौजूद डेटा या पहले से लागू इसी तरह के कार्यक्रमों जैसे विभिन्न कारणों से योजना को लागू नहीं किया है। सिक्किम, तेलंगाना और तमिलनाडु ने कुछ गांवों के साथ केवल प्रायोगिक चरण में भाग लिया है, लेकिन पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण इसे जारी नहीं रखने का विकल्प चुना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैंड ने अभी तक योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पश्चिम बंगाल और केरल ने सूचित किया है कि ग्रामीण भूमि के रिकॉर्ड के एक भाग के रूप में आवासीय संपत्तियों के अधिकारों के रिकार्ड पहले से मौजूद है। पहले से मौजूद रिकॉर्ड के कारण ओडिशा और असम सीमित संख्या में गांवों में सर्वेक्षण कर रहे हैं। झारखंड में यह योजना फिलहाल रोक दी गई है। दिल्ली में 31 गांवों में योजना को लागू किया गया है लेकिन संपत्ति कार्ड अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) स्वामित्व योजना के तहत, ग्राम स्तर के राजस्व अधिकारी कई चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें आबादी क्षेत्र का सीमांकन, ड्रोन सर्वेक्षण की सुविधा, जमीनी आंकड़ों की पुष्टि, दावों और आपत्तियों के लिए मानचित्रों के प्रकाशन में सहायता और वितरण हेतु संपत्ति कार्ड को अंतिम रूप देना शामिल हैं। उनकी सक्रिय भागीदारी से सटीकता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

इसके अतिरिक्त, पंचायत स्तर पर बैठक करके ग्राम वासियों को सर्वेक्षण कार्यक्रम, कार्यप्रणाली और उनके लाभों के बारे में जानकारी दी जाती है। संपत्ति के मालिक मापन और सर्वेक्षण गतिविधियों के दौरान आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके सहयोग करते हैं, जिससे योजना का सुचारू और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

***